यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयअधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वारके माह12/2018से 10/2020के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस.एस. राणा,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीतथा श्रीसंदीप चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)द्वारा श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 25.11.2020 से 02.12.2020तक संपादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकःकार्यालयअधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वारके लेखा अभिलखों की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री अक्षय कुमार,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारीतथा श्री सुनील कुमार,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी व श्री अंकित पांडे, लेखापरीक्षक द्वारादिनांक 13.12.2018 से 17.12.2018 तक संपादित की गयी, जिसमे माह 11/2017 से 11/2018तक की अवधि के लेखा अभिलेखों का संप्रेक्षण किया गया था।

2).(i).इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःकार्यालयअधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वारद्वारामण्डल कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधी कार्य, अधीनस्थ खंडों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, योजनाओं के प्राक्कलन व अनुबंधों संबंधी कार्य। इकाई का कार्यक्षेत्र जनपद हरिद्वार की सीमा तक है।

ii). (अ).विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर-स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2018-19	0.00	0.00	104.96	93.80	0.00	0.00	0.00	11.16
2019-20	0.00	0.00	1.35	0.56	0.00	0.00	0.00	0.79
2020-21(10/2020 तक)	0.00	0.00	2.18	0.27	0.00	0.00	0.00	1.91

iii)कार्यालयअधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वारको बजटअधिष्ठानमदों के अंतर्गत प्रमुख अभियंता (वित्त नियंत्रण अनुभाग) सिंचाई विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है । प्रश्नगतइकाईसंपादित कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों के आधार पर 'सी' श्रेणीकी है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियन्ता-II
4. अधीक्षण अभियन्ता

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिःवर्तमान लेखापरीक्षा माह12/2018से 10/2020तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालयअधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वारके लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर तैयार की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयअधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वारकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। अधिकतम व्यय के आधार माह07/19 व 07/20को विस्तृत जांच हेतु नमूना माह के रूप मे चयनित किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा15लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर1:- रु 102.81 लाख के आगणन में से रु 78.72 लाख की राशि को रु 9.45 लाख की जीएसटी को बिना शामिल किये हुये स्वीकृत किया जाना।

कार्यालय के लेखा-अभिलेखों की लेखा-परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में दो योजनाओं-

1) नमामि गंगे के अंतर्गत हरिद्वार क्षेत्र के खड़खड़ी शमशान घाट के पुनर्निर्माण एवं विस्तारीकरण का कार्य- रु 102.81 लाखनाबार्ड के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में बहादराबाद ब्लॉक में लालढाँग नहर के जीर्णोंधार का कार्य- रु 185.00 लाख के आगणन जो सिचाईं खंड, हरिद्वार से संबन्धित थे, को इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इन आगणनों की जांच में पाया गया कि दोनों आगणन हरिद्वार जनपद के बहादराबाद विकास-खंड से संबन्धित थेऔर रु 185.00 लाख के आगणन में इसी विकास-खंड के एसओआर (मई-2018 से प्रभावित) की दरों को Abstract of cost मे लिया गया था तथा चूंकि एसओआर की दरें बिना tax की थी एवं जीएसटी के जुलाई-2017 से लागू होने के कारण 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी को जोड़कर आगणन की राशि को स्वीकृत किया गया था। इसीप्रकार रु 102.81 लाख के आगणन को दो भागों मे 1) शवदाह घाट न0 2 का पुनर्निर्माण- रु 74.27 लाख एवं 2) घाट पर स्टोर शेड का निर्माण- रु 28.54 लाख में बांटा गया था। रु 74.27 लाख के Abstract of cost की 25 मदों मे से क्रमांक एक से आठ, 10 से 13, और 18 एवं 19 में विकास-खंड बहादराबाद के एसओआर (मई-2018 से प्रभावित) की दरों को लिया गया था परंतु 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी को नहीं जोड़ा गया था। अन्य क्रमांक की मदों में डीएसआर की एवं कोटेशन की दरें ली गयीं थी जिनमे जीएसटी की दर शामिल थी। इसीप्रकार रु 28.54 लाख के Abstract of cost की 11 मदों मे से क्रमांक एक से दस तक में विकास-खंड बहादराबाद के एसओआर (मई-2018 से प्रभावित) की दरों को लिया गया था परंतु 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी को नहीं जोड़ा गया था। और क्रमांक 11 में डीएसआर की दरें ली गयीं थी जिनमे जीएसटी की दर शामिल थी। इसप्रकार पाया गया कि रु 74.27 लाख के आगणन के Abstract of cost की 15 मदों की कुल राशि रु 53.63 लाख एवं रु 28.54 लाख के आगणन के Abstract of cost की 10 मदों की कुल राशि रु 25.09 लाख, महा योग राशि रु 78.72 लाख पर 12 प्रतिशत जीएसटी अर्थात रु 9.45 लाख को बिना शामिल किए हुए आगणन को अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया गया था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि दरों मे जीएसटी को बाजार दरों में सम्मिलित कर लिया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा आगणन मे ली गयी बाजार दरों पर आपत्ति नहीं की गयी थी जबकि एसओआर की मई-2018 से प्रभावित दरों पर आपत्ति की गयी थी जिन्हे रु 185.00 लाख के आगणन मे लिया गया और 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी शामिल किया था परंतु रु 102.81 लाख के आगणन मे इन्ही दरों को लिया गया था और जीएसटी को शामिल नहीं शामिल नहीं किया गया था।

अतः रु 102.81 लाख के आगणन में से रु 78.72 लाख की राशि को रु 9.45 लाख की जीएसटी को बिना शामिल किये हुये स्वीकृत किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर2:- अनुश्रवण के अभाव में रु 25.23 लाख के कार्यों का अनारम्भ रहना।

The Superintending Engineer is responsible to inspect the state of the various work s within his circle and satisfy himself that the prevailing system is efficient.

कार्यालय के लेखा-अभिलेखों की लेखा-परीक्षा में पाया गया कि सिंचाई खंड, हरिद्वार से संबन्धित दैवीय आपदा के अंतर्गतअधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों मे से दो कार्यों को अक्टूबर-2020 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था जबकि इन दोनों कार्यों हेतु आवंटन प्राप्त हो चुका था। विवरण निम्नतालिका के अनुसार है:

कार्य का नाम	**योजना प्राविधान**		**1/4/20 को अवशेष**			**10/2020 तक प्रगति**	
	वित्तीय	**भौतिक**	**वित्तीय**	**भौतिक**	**आवंटन**	**वित्तीय**	**भौतिक**
दैवीय आपदा 2017-18 के अंतर्गत भोगपुर बालावाली तटबंध के समीप स्थित कबूलपुरी, रामपुर रायघाटी, रंजीतपुर आदि ग्रामों की गंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु के मध्य धारा को परिवर्तित करने हेतु क्यूनेट निर्माण के कार्य का प्राक्कलन							
किमी 7.50 से किमी 8.50	12.60 लाख	1.00 किमी	12.60 लाख	1.00 किमी	7.56 लाख	Nil	Nil
किमी 5.00 से किमी 6.00	12.63 लाख	1.00 किमी	12.63 लाख	1.00 किमी	7.57 लाख	Nil	Nil
योग	**25.23**	**2.00**			**15.13**		

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि दोनों कार्यों हेतु वर्ष 2019-20 मे आवंटन प्राप्त हो चुका था परंतु इन कार्यों को लेखापरीक्षा तिथि अक्टूबर-2020 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था और वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शून्य थी जबकि ये कार्य दैवीय आपदा से संबन्धित थे जिन्हे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि दैवीय आपदा से अचानक हुए नुकसान से वंचितों को लाभ पहुंचाया जा सके।

इसप्रकार पाया गया कि उक्त आकस्मिक दैवीय आपदित कार्य को आवंटन प्राप्ति के बावजूद संबन्धित सिचाई खंड द्वारा न तो प्रारम्भ किया गया था और न ही अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा कार्यों हेतु उत्तरदायित्व होने के बावजूद सकारात्मक पहल की गयी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर कि कार्य को प्रारम्भ कराये जाने हेतु इकाई द्वारा क्या प्रयास किए गये तो इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए खंड कार्यालय को निर्देशित किया जाता रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि तक संबन्धित कार्यों की प्रगति शून्य थी।

अतः अनुश्रवण के अभाव में रु 25.23 लाख के कार्यों के अनारम्भ रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

प्रस्तर 3:- एक ही योजना के कार्य अलग-अलग भागों मेंविभाजित किया जाना तथा रु 19.40लाख की अधिक स्वीकृति प्रदान किया जाना।

उत्तराखण्डअधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 27 में प्रावधानित है कि "कार्यों के समूह को, जो एक परियोजना के ही भाग है, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिए ली जाय। मात्र इसलिए कार्य के अलग-अलग टुकड़े न किए जायें कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े।"

नाबार्ड मद के अंतर्गत गंगा नदी के दायें तट पर बलावाली से खानपुर तटबंध के कि. मी. 0.500 से 2.500 कि. मी. के मध्य डुम्मनपुरी, कलसिया ग्राम की बाढ़ सुरक्षा योजना से संबन्धित निर्माण कार्य हेतु रु. 568.06 लाख की सैद्धांतिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन के पत्रांक: 441/II(02)-2019-04(06)/2019 दिनांक 18.04.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी तथा तकनीकी सलाहकार समिति की 34वीं बैठक के क्रमांक-22/UK/TAC/34/31 द्वारा अनुमोदित की गई। अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, हरिद्वार द्वारा उक्त योजना हेतु प्राकलन गठित किया गया तथा कुल प्राक्कलन रु. 568.06 लाख की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, हरिद्वार द्वारा प्रदान की गयी थी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार द्वारा उक्त एक ही योजना के कार्य हेतु 04 अलग-अलग भागों में समाचार पत्रों व आनलाइन निविदा आमंत्रित की गयी।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया उक्त योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा जिन कार्यों हेतु भिन्न-भिन्न फ़र्मों के साथ अलग-अलग अनुबंध गठित किए गए थे वे एक ही प्रकृति के निर्माण कार्य थेजिसका विवरण निमन्वत है:-

अनुबंध संख्या	**कार्य का नाम**	**अनुबंध की धनराशि (रु.)**	**कार्य प्रारम्भ की तिथि**	**कार्य समाप्ति की तिथि**	**ठेकेदार/फ़र्म का नाम**
01/SE/ /2019-20	Construction work of spur for flood protection work of village Dummanpuri, Kalsiya on right bank of Ganga river of Khanpur Balawali Ch. Job.-01	10907127.00	03.05.2019	02.08.2019	M/S Construction Gallery
02/SE/ /2019-20	-do- Ch. Job.-02	10831410.00	04.05.2019	03.08.2019	M/S SR Infratech
03/SE/ /2019-20	-do- Ch. Job.-03	10834944.30	16.05.2019	27.08.2019	M/S Marc Engineerians
04/SE/ /2019-20	-do- Ch. Job.-04	10834944.30	09.05.2019	07.08.2019	M/S Construction Gallery

उक्त गठित अनुबंधों में निम्न 02 मदों के कार्य निष्पादित किए जाने थे जिनकी मात्रा, अनुबंध की दर व निम्नतम दर निमन्वत थी-

क्र. सं.	मद का नाम	अनुबंध संख्या	मात्रा	प्राक्कलन की दर	निम्नतम दर	अनुबंध की दर	दरों में अंतर	अंतर की धनराशि
01	Earth work in excavation of foundation of structure as per drawing and technical specification,	01	3177cum	118.30	131.00	301.00	170.00	540090.00
02	Providing and lying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 08 mm guage BWG GI wire.		4738.50cum	1963.50	2100.00	2100.00	0.00	0.00
03	क्रम संख्या 01 के अनुसार	02	3177cum	118.30	131.00	131.00	0.00	0.00
04	क्रम संख्या 02 के अनुसार		4738.50cum	1963.50	2100.00	2198.00	98.00	464324.00
05	क्रम संख्या 01 के अनुसार	03	3177cum	118.30	131.00	169.40	38.40	121996.80
06	क्रम संख्या 02 के अनुसार		4738.50cum	1963.50	2100.00	2173.00	73.00	345910.50
07	क्रम संख्या 01 के अनुसार	04	3177cum	118.30	131.00	169.40	38.40	121996.80
08	क्रम संख्या 02 के अनुसार		4738.50cum	1963.50	2100.00	2173.00	73.00	345910.50
	योग							**1940228.6**

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा एक योजना के अंतर्गत समान प्रकृति के कार्यों हेतु एक ही अनुबंध गठित न करते हुए तथा न्यूनतम दरों का लाभ प्राप्त न करते हुए फर्मों के साथ गठित अनुबंधों में धनराशि रु. 1940228.60 की अधिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इस ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया गया कि कार्यों को शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु तथा कार्य की महत्ता एवं बाढ़ सुरक्षा की समयबद्धता को देखते हुए चारों अनुबंधों में अलग-अलग न्यूनतम

निविदादाता के साथ अनुबंध गठित किए गए है। इसके अतिरिक्त शेष मदों में धनराशि प्राप्त होने पर अनुबंध पृथक से गठित किए जायेंगे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक ही योजना के समान प्रकृति के कार्यों हेतु टुकड़ों में अनुबंध गठित किया जाना अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन था,साथ ही कार्य की मदों हेतु न्यूनतम दरों का लाभ प्राप्त किए बिना अनुबंध गठित किए गए थे। इकाई का यह तर्क भी मान्य नहीं है कि कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु अलग-अलग अनुबंध गठित किए गए थे क्योंकि योजना के प्राक्कलन में उल्लेखित शेष मदों के कार्य किए जाने शेष थे।

अतः एक ही योजना के कार्य अलग-अलग भागों मेंविभाजित कर रु 19.40 लाख की अधिक एवं अनियमित स्वीकृति प्रदानकिए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञानमें लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर4:- लेखापरीक्षा अवधि में रु. 161.20 लाख की प्रविष्टि हेतु रोकड़ बही का रख-रखाव न किया जाना।

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक: 3/XXXVII(6)/2013, दिनाँक 02.01.2013 के बिन्दु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि संबन्धित के बैंक खाते में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखों यथा 11-सी पंजिका, रोकड़ बही, बिल रजिस्टर इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा लेखापरीक्षित अवधि (12/2018 से 10/2020) के मध्य BM-5 के अनुसार माहवार निम्न धनराशियाँ व्यय की गई थी-

माह	**BM-5 के अनुसार व्यय धनराशि**
12/2018	811892.00
01/2019	35395.00
02/2019	703514.00
03/2019	1103070.00
04/2019	883594.00
05/2019	1346598.00
06/2019	15464.00
07/2019	1591526.00
08/2019	511724.00
09/2019	562339.00
10/2019	675620.00
11/2019	536440.00
12/2019	576262.00
01/2020	79269.00
02/2020	1109788.00
03/2020	22883.00
04/2020	547204.00
05/2020	547204.00
06/2020	547204.00
07/2020	1723352.00
08/2020	401479.00
09/2020	535631.00
10/2020	1252948.00
योग	**16120400.00**

उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इकाई द्वारा ई-पेमेंट प्रणाली से हुए भुगतानों का अंकन रोकड़ बही में किया जाना चाहिए था परंतु उक्त भुगतानित धनराशियों के अंकन हेतु इकाई द्वारा किसी प्रकार की रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया गया है जिस कारण विस्तृत जांच हेतु चयनित माह 07/2019 व 07/2020 की प्रविष्टियों एवं अंकगणितीय शुद्धता हेतु चयनित माह 05/2019 व 10/2020 की प्रविष्टियों की सत्यापन जांच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी, यद्यपि इकाई द्वारा वाउचरों,11-सी पंजिका का रख-रखाव किया गया था।

इस ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त उक्त आदेश के अनुपालन में इकाई द्वारा ई-पेमेंट प्रणाली से हुए भुगतानों का अंकन रोकड़ बही में किया जाना चाहिए था।

अतः लेखापरीक्षा अवधि में रु. 161.20 लाख की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञानमें लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	**प्रस्तर संख्या**		
	भाग II `अ`	**भाग II `ब`**	**STAN**
46/2017-18	-	01	-
92/2018-19	-	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

प्रतिवेदनसंख्या	**भाग II `अ`**	**भाग II `ब`**	**STAN**	**अभियुक्ति**
46/2017-18	-	01	-	इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्याभेज दी जाएगी ।
92/2018-19	-	01	-	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालयअधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वारतथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

<u>अप्रस्तुत अभिलेख</u>:-शून्य।

2). सतत् अनियमितताएःशून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री राकेश कुमार तिवारी	अधीक्षण अभियंता	दिनाँक 17.12.18 से 08.08.19 तक
श्री शरद श्रीवास्तव	अधीक्षण अभियंता	दिनाँक 08.08.19 से 28.12.19 तक
श्री प्रेम सिंह पँवार	अधीक्षण अभियंता	दिनाँक 28.12.19 से 19.01.2020 तक
श्री मनोज कुमार सिंह	अधीक्षण अभियंता	दिनाँक 21.01.2020से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वारको इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून-248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I